कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अम्बिकापुर, जिला – सरगुजा, (छ.ग.)

Email ID – cmhosurguja@gmail.com,

क्रमांक / 6934 / एन.एच.एम. / एच.आर. / 2023 अम्बिकापुर, दिनांक 11 / 09 / 2023

–:: संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन सूचना ::–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ अंतर्गत जिला आर.ओ.पी. वर्ष 2022–24 मे स्वीकृत मानव संसाधनों (सेवा प्रदाता एवं कार्यक्रम प्रबंधकीय पदों हेतु) की संविदा भर्ती किये जाने के संबंध में अनुमति प्रदान की गई हैं। उक्त संबंध में जिले स्तर पर संचालित कार्यक्रम एवं पदनामवार रिक्त पदो की संविदा नियुक्ति दिनांक 31 / 03 / 2024 तक के लिए किया जाना है। योग्य / पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र के साथ स्पष्ट एवं त्रुटिरहित **आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड पोस्ट से कार्यालय मे कार्यालयीन कार्य दिवस (अवकाश दिवसों को छोड़कर) समय प्रातः 10:30 से 05:00 तक** आमंत्रित किया जा रहा है। **निर्धारित तिथि एवं समय तक आवेदन प्राप्त ना होने पर या डाक द्वारा विलंब के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।**

आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित तिथि	:	दिनांक 11 / 09 / 2023 से 26 / 09 / 2023 शाम 05.00 बजे तक
आवेदन स्वीकार करने हेतु अंतिम तिथि	:	दिनांक 29 / 09 / 2023 शाम 05.00 बजे तक
आवेदन फॉर्म की अंतिम तिथि दिनांक 26 / 09 / 2023 की स्थिति में डाकघर मे जमा होने पर दिनांक 29 / 09 / 2023 शाम 05.00 बजे तक स्वीकार किये जावेंगे। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।		
प्राप्त आवेदनों की सूची का प्रकाशन दावा आपत्ति हेतु निर्धारित तिथि, दावा आपत्ति निराकरण, दस्तावेज सत्यापन एवं अन्य समस्त सूचना	:	जिले के शासकीय वेब साईट **www.surguja.gov.in** के माध्यम से पृथक से सूचित किया जावेगा।

- समस्त आवेदक संविदा नियुक्ति से संबंधित अद्यतन जानकारी के लिए जिले के शासकीय वेब साईट www.surguja.gov.in का अवलोकन निरंतर करते रहेंगे।

(विस्तृत विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र देखा व डाउनलोड किया जा सकता हैं।)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.)

* इस नियुक्ति प्रकिया मे आरक्षण संबंधी अंतिम आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) कमांक 19668 / 2022 के अध्यधीन होगी।

भाग – 'अ'

National Health Mission

S. No.	Programme	Post Name	Salary	Post	UR	OBC	SC	ST	Educational Qualification
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	NMHP	Psychologist - Clinical	31,500.00	1	0	0	0	1	एम. फिल साईकोलॉजी, यदि योग्यता न होने की दशा मे एम.एस.सी. / एम.ए. साईकोलॉजी (रेगुलर) को प्राथमिकता दिया जावे। यदि जिलों में एम. फिल साईकोलॉजी अभ्यर्थी नहीं मिलने की दशा में एम.एस.सी. / एम.ए. साईकोलॉजी (रेगुलर) को प्राथमिकता दिया जावे।
2	NMHP	Sr. Nursing Officer	31,500.00	3	0	1	0	2	एम.एस.सी. साईकेट्रिक नर्सिंग अथवा बी. एस.सी. नर्सिंग के साथ डिप्लोमा इन साईकेट्रिक नर्सिंग (नर्सिंग काऊसिंल मे रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है)
3	RBSK	MO – AYUSH (M)	25,000.00	3	1 (Divyang - OL)	0	0	2	BHMS/BAMS/BUMS Degree Registration from any GOI Recognized (BAMS/BHMS/BUMS) Ayush, Homeo, Unani Registration Board **Divyang- OL (One Leg)**
4	RBSK	MO – AYUSH (F)	25,000.00	1	1 (Divyang - OL)	0	0	0	
5	DEIC	Psychologists	23,000.00	1	1	0	0	0	**1. Clinical Psychologist (M.Phil-Clinical Psychology)** **2. Trained Psychologist (M.A. Psychology) form UGC Recognized University. (Clinical Exeperience will be preferred)**
6	NMHP	Social Worker - NMHP	22,000.00	1	0	0	0	1	एम. फिल साईकेट्रिक सोशल वर्क को प्राथमिकता दिया जावेगा यदि उक्त योग्यता न होने की दशा मे मॉस्टर ऑफ सोशल वर्कर (रेगुलर) को प्राथमिकता दिया जावेगा।
7	NHM	Block Manager - Account	21,000.00	1	0	1	0	0	**B.Com (Minimum 55%) + 1 Year Computer Diploma (PGDCA), Knowlegded Tally** **कम्प्युटर डिप्लोमा मान्यता प्राप्त संस्थान / मंडल / विश्वविद्यालय से होने चाहिए।**
8	NHM	Physiotherapist	18,000.00	8	2	0	1	5 (1 STVG)	Bachelor's degree in Physiotherapy (BPT) with Live Registration in CG Council
9	NHM + NMHP	Nursing Officer	16,500.00	3	1 (Divyang - OL)	2	0	0	BSc Nursing OR GNM Course Passed & Live Registration in CG Nursing Registration Councile **Divyang- OL (One Leg)**
10	DEIC	Dental Assistant	14,000.00	1	1	0	0	0	Diploma in Dental Technology from a recognized institution (Preference will be given to candidates having at least 2 years Post Qualification experience in related field)
11	NMHP	Secretarial Assistant - NMHP	13,650.00	2	0	0	0	2	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से 01 वर्षिय डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन
12	IDSP (DPMU)	Secretarial Assistant - IDSP	13,650.00	1	0	0	0	1	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से 01 वर्षिय डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन
13	RBSK + NUHM	ANM	12,000.00	8	4 (3 Divyang-OL)	1 (Divyang - OL)	1 (Divyang - OL)	2 (Divyang-OL)	12th Passed, **ANM Passed** with INC affilated Training Center & Live Registration in CG Nurses Registration Council **Divyang- OL (One Leg)**
14	NHM + NUHM	Jr. Secretarial Assistant - (PADA & LDC)	12,000.00	4	0	0	0	4	**12th passed with at least 1 year Computer Diploma.** **कम्प्युटर डिप्लोमा मान्यता प्राप्त संस्थान / मंडल / विश्वविद्यालय से होने चाहिए।**
15	NUHM	Class 4	10,000.00	2	1	0	0	1	**10th passed.**
16	IDSP	Lab Assistant (DPHL)	8,800.00	2	1	0	0	1	जीव विज्ञान विषय के साथ 12वीं उत्तीर्ण एवं लैब मे कार्य करने का अनुभव
17	NRC	Cook cum care taker	8,800.00	1	0	0	0	1	8th Passed
18	NRC	Attendant	8,800.00	1	0	0	0	1	8th Passed

*** इस नियुक्ति प्रकिया मे आरक्षण संबंधी अंतिम आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) कमांक 19668 / 2022 के अध्यधीन होगी।**

19	UHWC	Staff Nurse - (UHWC)	16,500.00	11	3	1	1	6 (1 F, 1 STVG)	01. BSc Nursing/Post Basic BSc Nursing. 02. General Nursing and Midwifery (GNM) With C.G. Nursing Council Registration (Final Merit List prepared on the basis of Order of priorty Like 1 & 2)
20	UHWC	MPW (M) - (UHWC)	14,000.00	11	3	1	1	6 (1 STVG)	Must have passed Higher Secondary Examination (10+02) examination with Biology Subject One year Diploma in Multipurpose Worker Training or equivalent training from training center recognized by the State Goverment with registered in Chhattisgarh Paramedical Council
21	UHWC	Jr. Secretrial - Assistant (UHWC)	12,000.00	11	3	1	1	6 (1 F, 1 STVG)	12th passed with at least 1 year Computer Diploma कम्प्युटर डिप्लोमा मान्यता प्राप्त संस्थान / मंडल / विश्वविद्यालय से होने चाहिए।
22	UHWC	Class 4 - (UHWC)	10,000.00	11	3	1	1	6 (1 F, 1 STVG)	10th passed
Total				**88**	**25**	**9**	**6**	**48**	----

आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित तिथि	:	**दिनांक 11/09/2023 से 26/09/2023 शाम 05.00 बजे तक**
आवेदन स्वीकार करने हेतु अंतिम तिथि	:	**दिनांक 29/09/2023 शाम 05.00 बजे तक**
आवेदन फॉर्म की अंतिम तिथि दिनांक 26/09/2023 की स्थिति मे डाकघर मे जमा होने पर दिनांक 29/09/2023 शाम 05.00 बजे तक स्वीकार किये जावेंगे। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।		

नोटः

- उपरोक्त सारिणी मे दिए गए पदों पर सरगुजा जिले के आरक्षण रोस्टर के अनुसार वर्गवार रिक्त पदों पर सरगुजा जिलें मे प्रचलित आरक्षण रोस्टर के अनुसार संविदा भर्ती लिया जा रहा हैं।
- समस्त आवेदक संविदा नियुक्ति से संबंधित अद्यतन जानकारी के लिए वेब साईट का अवलोकन निरंतर करते रहेंगे।
- शासकीय वेब साईट **www.surguja.gov.in** से विस्तृत विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र देखा व डाउनलोड किया जा सकता हैं।
- Divyang- OL (One Leg) एक पैर को दर्शाने के लिए अंकित किया गया हैं।
- उपरोक्त वर्णित तिथि आवश्यकता अनुरूप परिवर्तनशील है।
- इस नियुक्ति प्रकिया मे आरक्षण संबंधी अंतिम आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) कमांक 19668/2022 के अध्यधीन होगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.)

* इस नियुक्ति प्रकिया मे आरक्षण संबंधी अंतिम आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) कमांक 19668/2022 के अध्यधीन होगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा पदों की भर्ती हेतु वर्ष 2023–24 के संबंध में दिशा–निर्देश

भाग – 'ब'

नोट–

- अभ्यार्थी जिले के शासकीय वेबसाईट **www.surguja.gov.in** का निरंतर अवलोकन करते रहें विज्ञापन से संबंधित समस्त जानकारी समय समय पर वेबसाईट के माध्यम से ही प्रसारित की जावेगी। अन्य किसी माध्यम से जानकारी आवेदक को प्रेषित नहीं की जावेगी।

1. भर्ती प्रकिया के संबंध में विशेष निर्देश :–

1.1. उपरोक्त समस्त पदों की नियुक्ति एवं चयन प्रक्रियायें माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) कमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश अध्यधीन होगी। इस संबंध में माननीय उत्तमत न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 01.05.2023 का पैरा – 4, 5 एवं 6 निम्नानुसार है:–

4. We therefore, permit the state to go ahead with the selection pocess and make appointment and promotions.
5. However, it is made clear that the same shall be subject to the result of the pention.
6. All appointment and the promotion order shall specifically mentions that such appointments and promotions are subject to the final outcome of the present proceeding.

1.2. पत्र कं./1939/एनएचएम/एचआर/2022 अम्बिकापुर, दिनांक 10/03/2022 को जारी विज्ञापन को निरस्त किया गया हैं।

1.3. पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन में आवेदन के साथ प्राप्त राशि को आवेदको के द्वारा कार्यालय में बैंक खाते की जानकारी, आधार एवं पैन कार्ड की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भर कर जमा करने के उपरांत 01 माह की अवधि मे वापस किये जायेगे।

2. आवेदन पत्र के संबंध में :–

2.1. विज्ञापन की तिथि में समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकृत किया जावेगा। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में आवेदन हेतु अंतिम तिथि के पश्चात् कोई भी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। अतः अर्हता को सिद्ध करने वाले समस्त प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आवेदन पर विचार नही किया जावेगा।

2.2. **आयु सीमा**:– 01 जनवरी 2023 को आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु तथा 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु होना चाहिए। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2023 की स्थिति मे की जावेगी।

2.3. सभी पद पूर्णतः संविदा आधारित है, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ अंतर्गत संविदा मानव संसाधन नीति 2018 (यथा संशोधित) के अधीन है।

2.4. आवेदक आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदन मे **पदनाम, कार्यकम का नाम एवं वर्ग (अनारक्षित/अन्य पिछडा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)** का नाम अनिवार्य रूप से उल्लेख करें।

2.5. इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवेदन सम्पूर्ण आवश्यक दस्तावेजों को स्वप्रमाणित कर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अम्बिकापुर, सरगुजा को निर्धारित तिथि/समय तक प्रस्तुत कर सकते है।

2.6. इच्छुक आवेदक एक से अधिक पद हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर निर्धारित प्रारूप में पदवार पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे।

2.7. विज्ञापन जारी होने के उपरांत निर्धारित तिथि एवं समय तक आवेदन प्राप्त ना होने पर या अन्य किसी कारणवश विलंब या डाक द्वारा विलंब के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। उक्त संबंध में आवेदन स्वीकार/विचार नहीं किया जावेगा ना ही कोई अभ्यावेदन स्वीकार किया जावेगा।

2.8. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा तथा अनावश्यक दस्तावेजों को संलग्न किये जाने पर आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा। जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

2.9. अभ्यर्थी आवेदन पत्र एवं समस्त आवश्यक दस्तावेजों को एक साथ **टैग लगा कर (धागे मे बांध कर)** प्रस्तुत करेंगे।

2.10. **शैक्षणिक** योग्यता प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त संस्था के ही मान्य होंगे।

2.11. यह नियुक्ति संविदा आधार पर एक वित्तीय वर्ष के लिये होगी, जो कि पूर्णतः अस्थाई होगी। नियुक्त कर्मचारी का प्रतिवर्ष कार्य मूल्यांकन किया जावेगा। वार्षिक कार्यमूल्यांकन संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में ही संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की जावेगी।

2.12. उक्त भर्ती प्रकिया में आवेदको को उनके योग्यता के आधार पर पात्र–अपात्र करने का अधिकारी जिला स्तरीय चयन समिति को होगा।

*** इस नियुक्ति प्रकिया मे आरक्षण संबंधी अंतिम आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) कमांक 19668/2022 के अध्यधीन होगी।**

3. **चयन प्रकिया :–**

3.1 **अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता – 85 प्रतिशत।**

- ❖ (स्नातक/स्नातकोत्तर के सभी वर्षो का कुल प्राप्तांक एवं पूर्णांक की गणना के औसत के आधार) गणना शिक्षा की पूर्ण अवधि मे अर्जित कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत पर – 85 प्रतिशत अंक।
- ❖ ए.एन.एम./एम.पी.डल्ल्यू – पद हेतु अवर सचिव, छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नवा रायपुर अटल नगर का आदेश पत्र कमांक/एफ 1–67/2021/सत्रह/एक, दिनांक 22/02/2023 का पालन किया जावेगा।

➢ कक्षा 8वीं (आठवीं) हेतु ग्रेड सिस्टम शैक्षणिक अर्हता को प्रतिशत में परिवर्तन :– ग्रेड विवरण के अनुसार अभ्यर्थी ग्रेड अंक का प्रतिशत निकालने के लिए औसत प्रतिशत निकालना होगा।

जैसे :– 90–100 के प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का ग्रेड = A^+ है, तो प्रतिशत का औसत निकालने के लिए –

$$\text{औसत प्रतिशत} = \frac{90 + 100}{2} = 95$$

इस प्रकार की ग्रेडिंग प्रणाली में ग्रेड का औसत प्रतिशत निम्नानुसार होगा –

प्राप्तांक का औसत प्रतिशत		
ग्रेड	**अंको का प्रतिशत**	**प्रतिशत**
A+	90-100	95
A	80-89	84.5
B+	70-79	74.5
B	60-69	64.5
C+	45-59	52
D	33-44	38.5
E	33 से कम	

➢ समान ग्रेड/अंक वाले अभ्यर्थी होने की स्थिति में जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। अर्थात् जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी उसको वररीयता प्रदान की जावेगी।

3.2 **अनुभव – 10/15 अंक**

अनुभव 10/15 अंक संबंधित पदो के ही मान्य किये जावेगे। (एन.एच.एम. छत्तीसगढ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियो को (प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक) अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियो को (प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक) अधिकतम 10 अंक)।

सारिणी – 1 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता हेतु –

क.	विज्ञापित पदनाम	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	रिमार्क
1	2	3	4
1	साईकोलॉजिस्ट	शैक्षणिक योग्यता (स्नातकोत्तर/स्नातक) - 85%	ए.एन.एम./एम.पी.डब्ल्यू (पु0) पद हेतु – अवर सचिव, छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विभाग, नवा रायपुर अटल नगर का आदेश पत्र कमांक/एफ 1–67/2021/सत्रह/एक, दिनांक 22/02/2023 मे प्राप्त निर्देशानुसार अलिपिकीय पैरा–मेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 तथा यथासंशोधित 2020 के नियम–6 के उपनियम–5 में प्राधानित शैक्षणिक योग्यता (12वी) के प्राप्तांकों के लिए 40 प्रतिशत अंक एवं तकनिकी शिक्षा के लिए 45 प्रतिशत अंक (कुल 85 प्रतिशत) तथा अनुभव का प्राप्तांक 15 अंक कुल 100 अंक मेरिट लिस्ट के आधार पर आरक्षण रोस्टर अनुसार चयन करने हेतु निर्धारित करता है। लेख हैं अनुसार सूची तैयार किया जावेगा।
2	सिनियर नर्सिंग ऑफिसर	शैक्षणिक योग्यता (स्नातकोत्तर/स्नातक) - 85%	
3	चिकित्सा अधिकारी – आयुष (आर.बी.एस.के.)	शैक्षणिक योग्यता (स्नातक) - 85%	
4	सोशल वर्कर	शैक्षणिक योग्यता (स्नातकोत्तर- 85%	
5	1. नर्सिंग ऑफिसर/स्टाफ नर्स 2. डेन्टल असिस्टेन्ट	शैक्षणिक योग्यता - 85%	
6	ए.एन.एम./एम.पी.डब्ल्यू (पु0)	1. शैक्षणिक योग्यता (12वी) - 40% 2. तकनिकी शिक्षा - 45% **(कुल - 85%)**	
7	विकासखण्ड लेखा प्रबंधक	शैक्षणिक योग्यता (स्नातक–55%) 85%	
8	फिजियोथेरेपिस्ट	शैक्षणिक योग्यता (स्नातक) - 85%	
9	सेकेटेरियल असिस्टेन्ट	शैक्षणिक योग्यता (स्नातक) 85%	
10	जू. सेकेटेरियल असिस्टेन्ट	शैक्षणिक योग्यता (12वीं) 85%	
11	लैब असिस्टेन्ट	शैक्षणिक योग्यता (12वी) 85%	
12	चतुर्थ वर्ग	शैक्षणिक योग्यता (08वीं/10वीं) 85%	

*** इस नियुक्ति प्रक्रिया मे आरक्षण संबंधी अंतिम आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) कमांक 19668/2022 के अध्यधीन होगी।**

सारिणी – 2 अनुभव अंक एंव बोनस अंक हेतु –

क.	विज्ञापित पदनाम	अनुभव अंक 10 / 15 अंक	बोनस अंक 10 अंक
1	2	3	4
		• **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियो को (प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक) अधिकतम 15 अंक एवं अन्य अभ्यर्थियो को (प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक) अधिकतम 10 अंक** • अनुभव प्रमाणपत्र (आवेदित पद से संबंधित हो) **केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाओं का ही मान्य होगें।** पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यार्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगें। निःशुल्क सेवा अथवा शासकीय निधि से भुगतान नहीं किये गए पदो के अनुभव अंक मान्य नहीं किये जायेगे। अनुभव/अनापत्ति प्रमाण पत्र संबधित पद का नियोक्ता अधिकारी द्वारा जारी नियुक्ति आदेश तथा वेतनमान की प्रति देना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुभव का अंक अमान्य किया जावेगा। • अनिवार्य अनुभव वाले पदों हेतु मान्यता प्राप्त निजी संस्थान से प्राप्त कार्य अनुभव को मान्य करते हुए अभ्यर्थियों को पात्र सूची मे सम्मिलित किया जावेगा किन्तु उन्हे अनुभव का अंक प्रदाय नहीं किया जावेगा।	• अवर सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नवा रायपुर का संशोधन आदेश पत्र कमांक/एफ 1–67/2021/सत्रह/एक दिनाक 03/02/2023 मे प्राप्त निर्देशानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ राज्य के **शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं एक वर्ष में 06 माह तक सेवा देने वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों** को विभाग के तृतीय एवं चतृर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जावेगा।
1	साईकोलॉजिस्ट	कॉलम 03 अनुसार अधिकमत– 10/15 अंक	—
2	सिनियर नर्सिंग ऑफिसर	कॉलम 03 अनुसार अधिकमत– 10/15 अंक	—
3	चिकित्सा अधिकारी – आयुष (आर.बी.एस.के.)	कॉलम 03 अनुसार अधिकमत– 10/15 अंक	—
4	सोशल वर्कर	कॉलम 03 अनुसार अधिकमत– 10/15 अंक	—
5	विकासखण्ड लेखा प्रबंधक	कॉलम 03 अनुसार अधिकमत– 10/15 अंक	—
6	फिजियोथेरेपिस्ट	कॉलम 03 अनुसार अधिकमत– 10/15 अंक	—
7	1. नर्सिंग ऑफिसर/ स्टाफ नर्स 2. डेन्टल असिस्टेन्ट 3. एम.पी.डब्ल्यू (पु0)	बिन्दु कमांक 3.3 अनुसार मान्य होगा।	बिन्दु कमांक 3.3 अनुसार मान्य होगा।
8	ए.एन.एम.	• **ANM/GNM नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों के लिए शैक्षणिक योग्यता के 80 प्रतिशत अंक, अनुभव के अंक/मितानिन कार्य अनुभव के अंको को जोडकर वरीयता सूची बनाई जावेगी।** (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियो को (प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक) अधिकतम 15 अंक एवं अन्य अभ्यर्थियो को (प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक) अधिकतम 10 अंक, **मितानिन कार्य अनुभव के प्रतिपूर्ण वर्ष 04 अंक के मान से अधिकतम 20 अंक** प्रदाय किये जावेंगे। (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के संविदा ए.एन.एम. पदो के लिए उपरोक्त प्रावधान 31 दिसम्बर 2017 के उपरांत भी ए.एन. एम./नर्सिंग पाठ्यकम में उत्तीर्ण मितानिनों के लिए लागू होगा। राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।)	—
9	सेकेटेरियल असिस्टेन्ट	कॉलम 03 अनुसार अधिकमत– 10/15 अंक	—
10	जू. सेकेटेरियल असिस्टेन्ट	कॉलम 03 अनुसार अधिकमत– 10/15 अंक	—
11	लैब असिस्टेन्ट	कॉलम 03 अनुसार अधिकमत– 10/15 अंक	—
12	चतुर्थ वर्ग	कॉलम 03 अनुसार अधिकमत– 10/15 अंक	—

3.3 **अनुभव एवं बोनस अंक के संबंध में स्पष्टीकरण– 15/10 अंक**

- कोरोना वैशविक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में **नियुक्त एवं एक वर्ष में 06 माह तक सेवा देने वाले** अस्थाई **स्वास्थ्य कर्मियों** को **10 बोनस अंक** दिया जाना है एवं सामान्य स्थित में नियुक्त संविदा (अनियमित) कर्मचारी है उन्हे अनुभव के **अधिकतम 15 अंक** तक दिया जाना हैं। **इस प्रकार एक ही कर्मचारी को दोनो अनुभव के अंक नहीं दिया जावेगा।**
- **(जिन्हे शासकीय मद से सेवा अवधि का मानदेय दिया गया हैं)।**

*** इस नियुक्ति प्रकिया मे आरक्षण संबंधी अंतिम आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) कमांक 19668/2022 के अध्यधीन होगी।**

3.4 प्राप्त आवेदन एवं दस्तावेजों के आधार पर ही स्कूटनी कर अभ्यर्थियों की पात्र/अपात्र सूची तैयार कर दावा आपत्ति हेतु जिले के वेबसाइट पर अपलोड की जावेगी। दावा– आपत्ति निराकरण उपरांत सूची तैयार की जायेगी।

3.5 दावा– आपत्ति हेतु निर्धारित तिथि पश्चात् उक्त संबंध में आवेदन स्वीकार/विचार नहीं किया जावेगा ना ही कोई अभ्यावेदन स्वीकार किया जावेगा।

3.6 **अंतिम चयन सूची निम्नांकित आधार पर बनाई जावेगी – 100 अंक**

अंतिम चयन सूची –

शैक्षणिक योग्यता	+	अनुभव के अंक

➢ **शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव/बोनस अंक के संबंध में स्पष्टीकरण – विज्ञापन सारिणी में उल्लेखित अनुसार ही शैक्षणिक योग्यता कमानुसार पात्र आवेदकों को अवसर प्रदान किया जावेगा एवं अनुभव अंक का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थी को केवल पद से संबंधित कार्य किये जाने पर ही अनुभव अंक का लाभ प्रदान किया जावेगा।**

जैसे –

1. **साईकोलॉजिस्ट पद हेतु –** क्लिनिकल साईकोलॉजिस्ट (एम.फिल. – क्लिनिकल साईकोलॉजी) उत्तीर्ण आवेदकों को प्रथम प्राथमिकता दिया जावेगा (एम.फिल. – क्लिनिकल साईकोलॉजी उत्तीर्ण उपलब्ध नहीं होने की दशा में ट्रेन्ड साईकोलॉजिस्ट (एम.ए. – साईकोलॉजी) उत्तीर्ण आवेदकों को अवसर प्रदान किया जावेगा।

   साईकोलॉजिस्ट के रूप मे सेवा प्रदान किये जाने के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। **(अनुभव/बोनस अंक हेतु सारिणी 02 का अवलोकन करें)।**

2. **सिनियर नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु –** एम.एस.सी. साईकेट्रिक नर्सिंग को प्रथम प्राथमिकता दिया जावेगा एम.एस.सी. साईकेट्रिक नर्सिंग उपलब्ध नहीं होने की दशा में बी.एस.सी. नर्सिंग के साथ डिप्लोमा इन साईकेट्रिक नर्सिंग को अवसर प्रदान किया जावेगा।

   मानसिक स्वास्थ्य अपताल अथवा क्लिनिक मे सेवा प्रदान किये जाने के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा **(अनुभव/बोनस अंक हेतु सारिणी 02 का अवलोकन करें)।**

3. **चिकित्सा अधिकारी – आयुष (आर.बी.एस.के.) पद हेतु –** BHMS/BAMS/BUMS को समान अवसर प्रदान किया जावेगा।

   चिकित्सक के रूप मे सेवा प्रदान किये जाने के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा **(अनुभव/बोनस अंक हेतु सारिणी 02 का अवलोकन करें)।**

4. **सोशल वर्कर पद हेतु** – एम. फिल साईकेट्रिक सोशल वर्क को प्राथमिकता दिया जावेगा यदि उक्त योग्यता न होने की दशा मे मॉस्टर ऑफ सोशल वर्कर (रेगुलर) को प्राथमिकता दिया जावेगा।

   सोशल वर्कर के रूप मे सेवा प्रदान किये जाने के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा **(अनुभव/बोनस अंक हेतु सारिणी 02 का अवलोकन करें)।**

5. **विकासखण्ड लेखा प्रबंधक पद हेतु** – बी.कॉम (न्यूनतम 55%) के साथ एक वर्षिय कम्प्यूटर डिप्लोमा (पीजीडीसीए) उत्तीर्ण एवं टैली का जानकार आवेदकों को अवसर प्रदान किया जावेगा।

   लेखा संबंधी कार्य के रूप मे सेवा प्रदान किये जाने के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा **(अनुभव/बोनस अंक हेतु सारिणी 02 का अवलोकन करें)।**

6. **फिजियोथेरेपिस्ट पद हेतु** – Bachelor's degree in Physiotherapy (BPT)

   फिजियोथेरेपिस्ट के रूप मे सेवा प्रदान किये जाने के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा **(अनुभव/बोनस अंक हेतु सारिणी 02 का अवलोकन करें)।**

7. **नर्सिंग ऑफिसर/स्टाफ नर्स पद हेतु** – बैचलर डिग्री/पोस्ट बेसिक/डिग्री बेसिक डिप्लोमा उत्तीर्ण आवेदकों को समान अवसर प्रदान किया जावेगा।

   स्टाफ नर्स के रूप मे सेवा प्रदान किये जाने के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा **(अनुभव/बोनस अंक हेतु सारिणी 02 का अवलोकन करें)।**

*** इस नियुक्ति प्रकिया मे आरक्षण संबंधी अंतिम आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) कमांक 19668/2022 के अध्यधीन होगी।**

8. **डेन्टल असिस्टेन्ट पद हेतु –** Diploma in Dental Technology

टेक्निशियन/असिस्टेन्ट के रूप मे सेवा प्रदान किये जाने के संबंध मे अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा **(अनुभव/बोनस अंक हेतु सारिणी 02 का अवलोकन करें)।**

9. **सेकेटेरियल असिस्टेन्ट पद हेतु** – बैचलर डिग्री के साथ एक वर्षिय कम्प्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं **(अनुभव/बोनस अंक हेतु सारिणी 02 का अवलोकन करें)।**

10. **जू. सेकेटेरियल असिस्टेन्ट पद हेतु** – 12वीं के साथ एक वर्षिय कम्प्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।

बिन्दु 10 एवं 11 हेतु डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के रूप मे सेवा प्रदान किये जाने के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा **(अनुभव/बोनस अंक हेतु सारिणी 02 का अवलोकन करें)।**

11. **ए.एन.एम. पद हेतु** – 12वीं पास एवं ANM कोर्स उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

ए.एन.एम./मितानिन के रूप मे सेवा प्रदान किये जाने के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा **(अनुभव/बोनस अंक हेतु सारिणी 02 का अवलोकन करें)।**

12. **एम.पी.डब्ल्यू. (पु0) पद हेतु** – 12वीं बायोलॉजी विषय के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक हैं, साथ ही राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्र से एक वर्षिय डिप्लोमा इन मल्टीपर्पस वर्कर प्रशिक्षण अथवा समकक्ष प्रशिक्षण उत्तीर्ण के साथ छ.ग. पैरामेडिकल काऊसिल मे पंजीकृत होना अनिवार्य हैं।

एम.पी.डब्ल्यू. (पु0) के रूप मे सेवा प्रदान किये जाने के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा **(अनुभव/बोनस अंक हेतु सारिणी 02 का अवलोकन करें)।**

13. **चतुर्थ वर्ग पद हेतु – 8वीं/10वीं** उत्तीर्ण आवेदकों को अवसर प्रदान किया जावेगा।

चतुर्थ वर्ग कर्मचारी के रूप मे सेवा प्रदान किये जाने के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा **(अनुभव/बोनस अंक हेतु सारिणी 02 का अवलोकन करें)।**

14. **अन्य समस्त निर्धारित अर्हताओं हेतु** – छ.ग. संबधित कौंसिल का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य हैं।
15. संबंधित पदों के कार्य प्रकृती के अनुरूप सेवा प्रदान किये जाने के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

- **विज्ञापित पदों हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण होने के उपरांत ही किये गए कार्यो का कार्य अनुभव मान्य किया जावेगा।**
- अनुभव प्रमाणपत्र (आवेदित पद से संबंधित हो) केवल **शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाओं** का ही मान्य होगें। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगें।
- **शासकीय/अर्द्धशासकीय** संस्था में वर्तमान में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने नियोक्ता संस्था/नियुक्तिकर्ता अधिकारी से **विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात् का बना हुआ अनापत्ति प्रमाण पत्र** की छायाप्रति आवेदन पत्र में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र मे जारीकर्ता कार्यालय का वैद्य ई–मेल आईडी तथा दूरभाष संख्या अंकित होना अनिवर्य हैं।
- चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सरगुजा छ.ग. के द्वारा की जायेगी। उपरोक्त संविदा अवधि 31 मार्च 2024 तक (आर.ओ.पी. 2022–24 मे स्वीकृति अनुसार) के लिए होगी कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में उक्त अवधि की वृद्धि की जा सकती हैं। नियमित भर्ती किये जाने पर संविदा पद स्वतः निरस्त हो जायेंगे।
  - ✓ चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना मेरिट अनुसार की जायेगी।
  - ✓ चयन उपरांत सभी चयनित उम्मीदवारों को 50 रुपये का स्टाम्प पेपर मे निर्धारित प्रारूप मे शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  - ✓ संविद नियुक्ति उपरांत चयनित अभ्यर्थियो को पदस्थापना स्थल पर मुख्यालय बनाकर निवास करना अनिवार्य होगा।

*** इस नियुक्ति प्रकिया मे आरक्षण संबंधी अंतिम आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) कमांक 19668/2022 के अध्यधीन होगी।**

✓ नियुक्ति आदेश मे दिए गए पदस्थापना स्थल अपरिवर्तनीय होगा तथा अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरण के संबंध मे किसी भी प्रकार की पत्राचार स्वीकार नहीं किये जायेंगे। उक्त कृत्य को अनुशासनहीनता की श्रेणी मे रखते हुए कार्यवाही की जावेगी।

✓ उपरोक्त पदों पर आवेदन के समय मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल/संस्था/विश्वविद्यालय से शैक्षणिक योग्यता, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र व पंजीयन की स्वप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करें एवं मूल प्रमाण पत्र साथ में लावे।

➢ **अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान/मंडल/विश्वविद्यालय से होने चाहिए।**

➢ शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है उस संस्था का आवश्यकतानुसार यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.आई. एवं संबंधित कौसिल से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अन्य संस्था अमान्य है (इस हेतु वेबसाईट **https://www.ugc.ac.in** का अवलोकन करें)।

➢ **कम्प्युटर डिप्लोमा/डिग्री मान्यता प्राप्त संस्थान/मंडल/विश्वविद्यालय से होने चाहिए।**

(1) **मान्यता प्राप्त आईटीआई से कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट**

(2) **मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साईस/इंफारमेशन टेक्नालॉजी/मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (02 वर्ष से अन्यून)।**

(3) **वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड यूनिवर्सिटी/इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय/भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साईस/इंफारमेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षिय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि।**

(4) **DOEACC सोसाईटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा।**

➢ शैक्षणिक योग्यता हेतु केवल अंक के आधार पर ही प्रतिशत लिखा जाना अनिवार्य होगा, **ग्रेड सिस्टम** का अंक मे परिवर्तन कर सक्षम अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करा कर आवेदन प्रस्तुत किया जावे।

➢ संविदा नियुक्ति से संबंधित सूचना समय – समय पर कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रोजगार कार्यालय एवं जिला कार्यालय, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग तथा कार्यालय जन संपर्क जिला सरगुजा के सूचना पटल के साथ साथ जिले के शासकीय वेबवाइट **www.surguja.gov.in** पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है। भर्ती के संबंध मे अन्य किसी भी माध्यम से सूचना का प्रसार/पत्राचार नही किया जायेगा।

➢ आवेदक को छत्तीसगढ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस संबंध में समक्ष अधकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3.7 **प्रतीक्षा सूचीः–**

➢ प्रतीक्षा सूची हेतु कुल स्वीकृत पद के 25 पदो तक 200 प्रतिशत, 25 से 50 पदो हेतु 150 प्रतिशत, 50 से अधिक पदो के लिए 100 प्रतिशत अभ्यार्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा। ताकि भविष्य में रिक्त होने वाले पद तत्काल भरे जा सकें।

➢ अंतिम चयन सूची व प्रतिक्षा सूची की वैद्यता प्रकाशन तिथि से आगामी न्यूनमत एक वर्ष या अगली नवीन भर्ती के विज्ञापन जारी होने तक वैद्य रहेगी।

➢ **प्रतीक्षा सूची हेतु स्वीकृत पद के 25 पदो तक 200 प्रतिशत के मान से जारी सूची मे अभ्यर्थियों द्वारा पदभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में प्रकाशित/जारी वरियता सूची मे से प्रथमकमानुसार अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किया जावेगा।**

* इस नियुक्ति प्रकिया मे आरक्षण संबंधी अंतिम आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) कमांक 19668/2022 के अध्यधीन होगी।

3.8 अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ निम्नाकित अभिलेखों की **स्वप्रमाणित** छायाप्रति एवं नियुक्ति उपरांत कार्यालय में उपस्थिति के समय उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मूल प्रति एवं **एक स्वप्रमाणित** प्रतिलिपि के साथ उपस्थित होना होगा–

- ✓ 08वीं / 10 वीं की अंकसूची (जन्मतिथि के प्रमाण हेतु)।
- ✓ 12 वीं की अंकसूची।
- ✓ स्नातक / स्नातकोत्तर, उपाधि / प्रमाण पत्र (समस्त वर्षो का)।
- ✓ अहर्तानुसार अनिवार्य तकनीकि शैक्षणिक योग्यता संबंधित डिग्री / डिप्लोमा (समस्त वर्षो का)
- ✓ छ.ग. कौंसिल का (संबंधित विषय अनुसार) जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
- ✓ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र (संबंधित है तो)।
- ✓ विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग (PVTG) अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र (यदि संबंधित है तो)।
- ✓ मूल निवास प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)।
- ✓ जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
- ✓ यदि दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)
- ✓ स्वयं का पहचान / पता हेतु (आधार कार्ड / पैन कर्ड / ड्राविंग लॉयसेन्स / वोटर आईडी / अन्य शासकीय कार्ड) **अन्य दस्तावेज मान्य हेतु शासन स्तर से जारी विशेष अंक अंकित होना अनिवार्य हैं।**
- ✓ 02 Passport Size Photo.
- ✓ अन्य विशेष दस्तावेज (आवश्यकतानुरूप)।
- ✓ अनुभव / अनापत्ति प्रमाण पत्र – यह केवल **शासकीय संस्थान एवं सार्वजनिक संस्थानों तथा शासकीय वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों** (यथा SHRC) या उपकम का ही मान्य होगा।

भाग – 'स'

भर्ती के संबंध में सामान्य शर्ते एवं दिशा– निर्देश–

- मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नही होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रो की जांच की जाएगी, इसमे सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। चयन के पश्चात भी किसी भी समय किसी पत्र / प्रमाण पत्र या अन्य त्रुटि दोनो पक्षों से (किसी भी पक्ष की ओर से) पाये जाने की अवस्था मे नियमानुसार सेवा से पृथक कियें जाने की कार्यवाही की जावेगी।
- संविदा मानदेयः– संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय देय होगा, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता / सुविधा देय नही होगा।
- चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात् किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार उक्त अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देना होगा अन्यथा उनके द्वारा एक माह का वेतन जमा किया जाएगा।
- संविदा भर्ती के संदर्भ में छत्तीसगढ शासन द्वारा जारी आरक्षण नियम एवं समय–समय पर जारी अन्य निर्देश / आदेश / नियम यथा संशोधित लागू होगें।
- विशेष आरक्षण अर्हता रखने वाले (दिव्यांग / भूतपूर्व सैनिक / महिला आरक्षण नियमानुसार होगी) अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उससे संबंधित दस्तावेज संलग्न किये जाने होगे। अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में प्रमाण पत्र संलग्न न होने की स्थिति में सामान्य श्रेणी में सम्मिलित किया जावेगा।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के अभ्यार्थियों को सक्षम प्राधिकारी से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के अभ्यार्थियों को सक्षम प्राधिकारी से 01 वर्ष के भीतर का जारी आय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेंगे।

*** इस नियुक्ति प्रकिया मे आरक्षण संबंधी अंतिम आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) कमांक 19668 / 2022 के अध्यधीन होगी।**

- "अपर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र कं. एफ 13–19/2012/आ.प्र./1–3 नया रायपुर, दिनांक 20/02/2014 अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTG) को तृतीय श्रेणी (गैर–कार्यपालिक) एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हताए पूर्ण करते हो तो उन्हे अनुसूचित जनजाति वर्गो के रिक्त पदों पर भर्ती के समय चयन संबंधि निर्धारित प्रकिया का अनुसरण किये बिना ही सिधे नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु उन्हे 20 प्रतिशत की सीमा तक विशेष सुविधा दिए जाने का लेख है।" उक्त संबंध में विशेष सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए शासन स्तर से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नही देने की स्थिति में चयनित अभ्यार्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
- विज्ञापन में विज्ञापित पद अनुरूप निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी के ही आवेदन स्वीकार किये जावेगे।
- आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नही होगा। अंतिम रूप से नियुक्त रिक्त पदो की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रकिया/मापदण्डों पर निर्भर करेगी।
- चयन प्रकिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है या निश्पक्ष चयन प्रकिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नही किया जावेगा।
- पूर्व मे किसी अभ्यार्थी को शासकीस सेवा से बर्खास्त किया गया हो तो वे चयन हेतु पात्र नही होंगे।
- ऐसे अभ्यार्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा समाप्त की गयी है चाहे वे किसी भी पद पर रहे हो उन्हे अपात्र उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा जावेगा।
- शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुभव अंक हेतु नियोक्ता द्वारा जारी हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जावेगा।
- (अ) छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ/20–4/2014/आ.प्र./1–3, नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगें, जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

  (ब) समाज कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश दिनांक 25.09.2014 में निहित प्रावधानानुसार उक्त पदों के लिए उपयुक्त OL (एक पैर) दिव्यांग पात्र होंगें। मूल प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

➢ प्रशासकीय कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है या निरस्त भी किया जा सकता हैं। जिसका अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी/अध्यक्ष चयन समिति को होगा।

➢ योग्य/पात्र उम्मीदवार नही होने की दशा में चयन समिति द्वारा भर्ती निरस्त कर पुनः पद विज्ञापित कराया जा सकता है।

➢ भर्ती प्रकिया हेतु उत्पन्न किसी भी प्रकार की न्यायालयीन विवाद की स्थिति मे न्यायालयीन कार्य क्षेत्र जिला न्यायालय सरगुजा, जिला सरगुजा (अम्बिकापुर) ही होगी।

➢ भर्ती की प्रकिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार **नियुक्तिकर्ता अधिकारी/अध्यक्ष चयन समिति, जिला सरगुजा (छ.ग.)** को होगा जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.)

*** इस नियुक्ति प्रक्रिया मे आरक्षण संबंधी अंतिम आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) कमांक 19668/2022 के अध्यधीन होगी।**